411
1:15 PM

पत्रसं०– 65/XXVIII–5–2018–111/2011

प्रेषक,

गरिमा रौकली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक22 जनवरी,2018

विषयः मुख्य चिकित्सा अधिकारी,रूद्रप्रयाग के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7प/1/26/2017/399,दिनांक–06 जनवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी,रूद्रप्रयाग के अनावासीय भवनों के अवशेष निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत लागत ₹365.26 लाख के सापेक्ष अद्यावधिक तक अवमुक्त धनराशि के क्रम में उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर अवशेष देयता ₹295.05 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 में संगत मद में प्रावधानित कुल **₹50.00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र) की धनराशि** अवमुक्त करते हुए व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– शासनादेश संख्या–1685/XXVIII–5/2011–111/2011 दिनांक–01 दिसम्बर,2011, शासनादेश संख्या–819/ XXVIII–5/2016–111/2011 दिनांक–20 जुलाई,2016 तथा शासनादेश–968/XXVIII–5/2016–111/2011 दिनांक–06 अक्टूबर,2016 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये ही किया जायेगा। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4– उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– किसी भी शासकीय व्यय हेतु Uttrakhand Procurement Rules, 2017 व वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः

C:\Users\medical5\Desktop\2017-18\General\Letter.doc

7– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 110– अस्पताल तथा औषधालय, 21–सी0एम0ओ कार्यालय भवन का निर्माण, 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नः–अलॉटमेंट आईडीः– S1801120299

भवदीय,

(गरिमा रौकली)
संयुक्त सचिव

संख्या– 65(1)/XXVIII–5–2018–111/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, महालेखाकार भवन,कौलागढ़,देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून/हरिद्वार।
3– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/रूद्रप्रयाग।
4– मुख्य चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग
5– उत्तराखण्ड पेयजल निगम लि0, श्रीनगर गढवाल।
6– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार राय)
अनु सचिव

C:\Users\medical5\Desktop\2017-18\General\Letter.doc